कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 323/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 06.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

थाना निजामाबादः- दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 04.09.25 को वादिनी/पीड़िता द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अर्जुन यादव उर्फ रामअवध पुत्र चनरु यादव निवासी डिहवाबारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी/पीड़िता को शादी का झाँसा उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है। अर्जुन यादव उर्फ रामअवध द्वारा दिनांक 25.08.2025 को फोन किया गया और कहा कि मै अपने दोस्त पिन्टू को भेज रहा हूँ और तुम उसके साथ चली आओ, पीड़िता पिन्टू पुत्र रमाशंकर यादव निवासी रघुनाथपुर थाना तहबरपुर के साथ चली गयी, पिन्टू द्वारा रास्ते मे बाइक रोककर बौलिया बाग के पास जबरदस्ती वादिनी के साथ दुस्कर्म किया और कहा कि किसी से अगर कहोगी तो हम लोग मिलकर तुम्हे और तुम्हारे परिवार को जान से मारकर खत्म कर देगे। पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 306/25 धारा 69,64(1),351(3)BNS बनाम 1. अर्जुन यादव उर्फ रामअवध पुत्र चनरु यादव निवासी डिहवाबारी थाना निजामाबाद 2. पिन्टू पुत्र रमाशंकर यादव निवासी रघुनाथपुर थाना तहबरपुर आजमगढ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 05.09.25 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त धर्मवीर यादव उर्फ पिन्टू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी रघुनाथपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ उम्र 30 वर्ष को भीरु की पुलिया मोड़ नहर पटरी से समय करीब 09.35 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

धर्मवीर यादव उर्फ पिन्टू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी रघुनाथपुर थाना तहबरपुर आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 306/25 धारा 69,64(1),351(3)BNS थाना निजामाबाद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. का0 अजय जायसवाल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. म0का0 आरती तिवारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

02.थाना-मुबारकपुरः- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 19.08.2025 को वादिनी/पीडिता थाना मुहम्मदबाद जनपद मऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त रामभवन उर्फ साहब पुत्र दशरथ ग्राम काशीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा पीड़िता से शादी का झाँसा देकर जबरन दुष्कर्म किया गया व उसका अश्लील वीडियो बनाकर जान माल की धमकी दिया जा रहा है और दिनांक 06.08.2025 को पीड़िता को फोन करके शादी करने से मना कर दिया। जिसके आधर पर मु0अ0सं0 372/25 धारा 69,88,351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 06.09.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामभवन उर्फ साहब पुत्र दशरथ ग्राम काशीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पुल के नीचे से समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्तः-

रामभवन उर्फ साहब पुत्र दशरथ ग्राम काशीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 372/25 धारा 69,88,351(3) बी0एन0एस0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार चौबे थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
02. का0 आलोक कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ